दैनिक
न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, गुरुवार 18 अक्टूबर 2018
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

खाईवाल मुकेश अग्रवाल और उसके सहयोगी गुम मोहम्मद पर खरसिया पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। 16 अक्टूबर की शाम थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक अभिनव कांत सिंह अपने स्टाफ के साथ टाऊन भ्रमण एवं दुर्गा उत्सव प्रबंध ड्यूटी पर थे, इसी दरम्यान मुखबिर से सूचना मिला कि मुकेश अग्रवाल छपरीगंज खरसिया में अपने साथी के साथ मिलकर मोबाईल फोन पर एवं कागज पर सट्टा पट्टी का अंक लिखकर सट्टा खिला रहा है, सूचना पर खरसिया पुलिस द्वारा गवाहों के साथ सट्टा रेड किया गया, मौके पर मुकेश अग्रवाल एवं उसका सहयोगी गुल मोहम्मद सट्टा पट्टी, मोबाईल के साथ पकडे गये। आरोपियों के कब्जे से 03 नग मोबाईल, नगदी रकम 10400/-, एक टार्च, सट्टा पट्टी की पर्ची जिसमें 1692265 रूपये का हिसाब लिखा हुआ जप्त किया गया। आरोपी (1) मुकेश अग्रवाल पिता किशोरी लाल अग्रवाल उम्र 40 वर्ष निवासी छपरीगंज खरसिया (2) गुल मोहम्मद पिता नुर मोहम्मद आयु 28 वर्ष निवासी स्टेशन तालाब पार वार्ड नं.03 खरसिया के विरूद्ध थाना खरसिया में /18 धारा 4(क) सट्टा एक्ट की कार्यवाही की गई है।

तांबा तार के साथ दो व्यक्ति पकड़े गये, आरोपियों से करीब 03 क्विंटल तांबा तार जप्त

रायगढ़। 16 अक्टूबर को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक डी.एल. मिश्रा के नेतृत्व में थाना घरघोड़ा स्टाफ द्वारा ग्राम कटंगडीह चौक पर शाम करीब 18.10 बजे मोटर सायकल TVS XL Super CG13-/7454 के साथ आलमगीर पिता महीउद्दीन शेख उम्र 26 वर्ष निवासी चाररायसपुर थाना लालगोला जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) हाल घरघोड़ा के पास से 1 क्विंटल 40 किलो तांबा तार जप्त किया गया। थाना घरघोड़ा स्टाफ द्वारा रात्रि करीब 19.00 बजे ग्राम नवापारा बाजार चौक पर मोटर सायकल TVS XL SOLD में 1 क्विंटल 60 किलो तांबा तार के साथ रहमत अली पिता बहार अली उम्र 30 वर्ष निवासी चाररायसपुर थाना लालगोला जिला मुर्शीदाबाद (पश्चिम बंगाल) हाल घरघोड़ा को पकड़ा गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना घरघोड़ा में क्रमशः इस्त.क्र. 06,07/18 s 41(1+4) CrPC/379 IPC के तहत कार्यवाही की गई है।

अवैध शराब पर घरघोड़ा पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। 16 अक्टूबर को थाना प्रभारी घरघोड़ा के नेतृत्व में मुखबिर सूचना पर थाना घरघोड़ा स्टाफ द्वारा जरकट पुरी जंगल में शराब रेड कार्यवाही किया, इस दौरान सुखराम मांझी पिता स्व. आनंद राम मांझी उम्र 40 वर्ष साकिन नवाडीह बिक्री करने के लिये अवैध रूप से शराब बनाते पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 15 लिटर महुआ शराब जप्त किया गया। आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 335/18 धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया। थाना घरघोड़ा स्टाफ द्वारा एक और शराब रेड की कार्यवाही खाईनारा जंगल नवाडीह में किया गया जहां भोगलाल मांझी पिता चुपन साय मांझी उम्र 21 वर्ष साकिन नवाडीह कुडुमकेला बिक्री करने हेतु शराब बनाते पाया गया, जिसके कब्जे 25 लीटर महुआ शराब जप्त कर अप.क्र. 336/18 धारा 34(2) 59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

अवैध रूप से विस्फोटक (फटाका) परिवहन पर पुसौर पुलिस की कार्यवाही

रायगढ़। 16 अक्टूबर को थाना प्रभारी पुसौर उप निरीक्षक धनीराठौर द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम कोडपाली में हमराह स्टाफ के साथ नाकाबंदी कर लारा की ओर से आ रही मारूती सुजुकी वेन क्रमांक सीजी 13जेड 6761 को रोककर चेक किये, वाहन में कीमत 40353 रूपये का विभिन्न प्रकार के फटाके एवं मारुति वेन को जप्त किया गया एवं वाहन के चालक धनराज माखिजा पिता पुरूषोत्तम माखिजा उम्र 32 साल साकिन सिंधी कालोनी चक्रधर नगर रायगढ़ के विरूद्ध थाना पुसौर में अप.क्र. 227/18 धारा 9 (ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

पांच लोगों ने मिलकर झोलाछाप डॉक्टर का किया अपहरण

रायगढ़। शराब के नशे में चक्रधर नगर थाना क्षेत्र के एक झोलाछाप डॉक्टर को डींग हांकना महंगा पड़ गया। उसने कुछ दिन पहले गांव में एक जश्न के दौरान शराब के नशे में ऐलान किया कि उसके पास इतना पैसा है, वह सभी को खरीद सकता है। वहां खड़े कुछ युवकों ने उसके डींग को सच मान लिया और लंबी फिरौती मिलने के लालच में उसके अपहरण का प्लान बनाकर उसे किडनैप भी कर लिया।

डॉक्टर के परिजन अपहरणकर्ताओं के पास फिरौती की रकम लेकर पहुंचते उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी डॉक्टर को वहीं छोड़कर भाग गए। पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया है। जबकि तीन अभी फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द पकड़ लेने की बात कह रही है। चक्रधर नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर की रात 9 बजे लामीदरहा निवासी जया चौहान को उसके पति नेहरू चौहान का फोन आया कि मेरा कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है और घर में जितना भी पैसा है उसे घर के सामने रहने वाले श्रवण चौहान के जरिए गोवर्धनपुर पचधारी स्थित पुल के पास जल्दी भेजो। वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे। अपहरण व जाने से मारने की बात सुनकर झोलाछाप डॉक्टर की पत्नी जया चौहान घबरा गई और घटना की जानकारी अपने पति के जीजा को दी। इसके बाद नेहरू के जीजा ने तुरंत डायल 112 को फोन कर घटना की सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस की गाड़ियां गांव में पहुंची और आसपास के क्षेत्रों में आरोपियों की खोजबीन में जुट गई। पुलिस को गांव में आता देख आरोपीगण डर गए और नेहरू को वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद नेहरू खून से लथपथ गंभीर हालत में घर पहुंचा। अपहरणकर्ताओं ने उसे बुरी तरह मारा था, जिससे उसके नाक, कान आंख में गंभीर चोटें आई थीं। घर पहुंचकर नेहरू ने परिजनों व पुलिस को घटना के बारे में बताया।

इलाज के बहाने बुला कर किया अपहरण

नेहरू ने पुलिस को बताया कि 15 अक्टूबर की रात 7 बजे उसे आमापाल के सेतकुमार चौहान ने फोन कर कहा कि उसके घर में कोई बीमार है, जल्दी घर आ जाओ।

नेहरू जैसे ही आमापाल बस्ती के पास पहुंचा उसे फिर से सेतकुमार का फोन आया और उसने जानकारी दी कि मरीज की गंभीर हालत के चलते उसे रायगढ़ अस्पताल ले गए हैं, तुम वापस चले आओ।

इसके बाद नेहरू अपनी बाइक से वापस घर लामीदरहा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में लामीदरहा व आमापाल के बीच उसे सेतकुमार अपने चार साथियों से मिला और नेहरू चौहान को रुकवा कर उसके साथ मारपीट करने लगा। आरोपी नेहरू चौहान का अपहरण कर उसे गोवर्धनपुर पुलिया पचधारी घाट के पास सूने स्थान पर ले गए।

इसके बाद उन लोगों ने नेहरू से उसकी पत्नी को फोन करवाकर घर में जितना भी रुपया है उसे मंगवा रहे थे। इससे पहले डॉक्टर के परिजन फिरौती की रकम लेकर आरोपियों तक पहुंचते गांव में पुलिस पहुंच गई और पुलिस को देख आरोपीगण डॉक्टर को वहीं छोड़कर फरार हो गए।

डींग हांकने के चलते डॉक्टर हुआ किडनैप

चक्रधर नगर टीआई युवराज तिवारी ने बताया कि कि कुछ दिन पहले झोलाछाप डॉक्टर नेहरू चौहान गांव में जश्न के दौरान शराब के नशे में कह रहा था कि उसके पास इतना रुपया है वह सब को खरीद सकता है। इसी डींग के चलते आरोपियों ने उसके अपहरण का प्लान बना डाला। पुलिस का दावा है कि फरार तीन अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों में दो लोग आईटीआई कॉलोनी अंबेडकर आवास और दो आमापाल व एक लामीदरहा का रहने वाला है।

गोवर्धनपुर पुल बन रहा अपराध का अड्डा

जिस गोवर्धनपुर पुल में नेहरू चौहान को बंधक बनाकर रखा गया था वह अपराधियों का अड्डा सा बनता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही वहां एक ट्रक चालक का रास्ता रोक कर कुछ लोगों ने पहले तो दुर्गा चंदा मांगा, जब ट्रक चालक ने 100 रुपए दिया तो उन लोगों ने चालक को नीचे उतार कर मारपीट करते हुए उसके सारे रुपए लूट लिए।

हालांकि इस मामले में ट्रक चालक ने थाने में शिकायत नहीं की। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने मेन रोड में कई लोगों को घटना के बारे में बताया था। इस रास्ते में लगातार ऐसी घटनाएं होने के बाद भी पुलिस रात्रि गश्ती पर ध्यान नहीं दे रही है।

लोकप्रिय युवा राजेश शर्मा (ज्ञानी) पंचतत्व में विलीन
सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारी वर्ग, मीडिया जगत एवं युवावर्ग बड़ी संख्या में उमड़ा जनसैलाब

आज गुरुवार को सुबह 11 बजे निकाली गई अंतिमयात्रा

रायगढ़। ज्ञानी नगर निगम में एल्डरमेन भी थे। गुरुवार को 11 बजे गौरीशंकर मंदिर चौक स्थित उनके निवास से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई जिसमें लोगो का जन सैलाब देखने को मिला। क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक सभी दल के लोग उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे। कयाघाट स्थित मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया।उनकी अंतिम यात्रा में विधयाक रोशनलाल अग्रवाल, डॉ राजू अग्रवाल,जिला भाजपा अध्यक्ष जवाहर नायक,सुनील अग्रवाल (लेन्ध्रा), मुकेश मित्तल कलानोरिया, नवनीत जगतरामका, वरिष्ठ पत्रकार शशिकान्त शर्मा, हरमीत सिंग घई, प्रकाश नायक, विवेक रजन सिन्हा, राजेश भारतद्वज, बाबुलाल अग्रवाल (वकील), सुशील रतेरिया, अनूप रतेरिया, प्रमोद अग्रवाल (चरक), पवन शर्मा, बजरंग महामिया, जयंत बहिदार, आलोक सिंग, पवन अग्रवाल, आशीष ताम्रकार, पार्षद संजय देवांगन, प्रकाश निगानिया, राकेश पाण्डे, प्रवीण द्वेदी, हर्षपाल बग्गा, अमित शर्मा, किरण शर्मा, सूरज शर्मा, नोरतन शर्मा, जिमी अग्रवाल सुमित शर्मा सहित बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोग शामिल थे।उन्हें मुखाग्रनि उनके पुत्र सौर्य ने दी और सब ने उन्हें नम आंखों से अलविदा किया।

जम्मू में , बीएसएफ में कार्यरत् जवान की बेटी ने की आत्महत्या

रायगढ़। जम्मू में बीएसएफ जवाब की बेटी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। मामला जूटमिल कुली लाईन का लड़की का परिवर्तित नाम कुमारी रश्मि है। बताया गया कि लड़की पिता आज सुबह 10 बजे जम्मू से वापस आए हैं।

लड़की की उम्र 14 साल थी, जिसने कक्षा 7 वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। जुटमिल थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के सुसाइड करने के बाद बताया जा रहा है कि घरवालों नें पुलिस को बिना सूचना दिये आज सुबह उसका अंतिम संस्कार कायाघाट मुक्तिधाम में करने जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर जुटमिल थाना प्रभारी एवं स्टाफ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।

10 सटोरीए पकड़ाए, लाखों की सट्टा पट्टी जब्त
आरोपीयों पर सट्टा एक्ट की हुई कार्यवाही

रायगढ़। क्राईम ब्रांच एवं थाना कोतवाली, चक्रधरनगर पुलिस ने कल सट्टा पट्टी खिलाने वाले एवं सट्टा लिखने वाले के ठिकानों पर मुखबिर की सूचना पर दबिश दिया गया, इस दौरान 10 व्यक्तियों को पुलिस की टीम ने छापमारी दौरान सट्टा खिलाते पकड़ा गया, जिनसे लाखों रूपये के सट्टा पर्ची के साथ नगदी रूपये जप्त किये गये है।

थाना कोतवाली में 07 तथा थाना चक्रधरनगर में 03 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 4 (क) जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

इन सटोरियों पर गिरी गाज

थाना चक्रधरनगर स्थान - बोईरदादर बंगलापारा के पास, आरोपी - ज्ञानेंद्र सिंह सिदार पिता स्व. टेरूराम सिदार उम्र 45 वर्ष साकिन बेलादुला थाना चक्रधरनगर रायगढ़, जप्ती - नगदी रकम 4100 रूपये एवं सट्टा पर्ची, थाना चक्रधरनगर अप.क्र. 401/18, स्थान - बोईरदादर हाउसिंग बोर्ड कालोनी के पास, आरोपी - भुपेन्द्र यादव पिता टिकाराम यादव उम्र 45 वर्ष साकिन बेलादुला बांध के पास थाना चक्रधरनगर, जप्ती - नगदी रकम 3800 रूपये, थाना चक्रधरनगर स्थान - बेलादुला के पास, आरोपी - बुटु यादव पिता सहनी यादव उम्र 42 वर्ष साकिन बेलादुला पाईप घाट थाना चक्रधरनगर, जप्ती - नगदी रकम 3500 रूपये, थाना कोतवाली स्थान - इंदिरा नगर गंगाराम तलाब के पास, आरोपी - मोहम्मद वसीम पिता मोहम्मद बरकत उम्र 32 वर्ष सा. इंदिरा नगर गंगाराम तलाब, जप्ती -10,500 रू नगद, एक नग सट्टा पट्टी, थाना कोतवाली स्थान - बीडपारा मस्ता गली, आरोपी - बिट्टू शर्मा ऊर्फ बौना पिता स्व. राम अवतार शर्मा उम्र 31 वर्ष सा. बीड़पारा मस्ता गली, जप्ती - 9,500 रू नगद, एक नग सट्टा पट्टी, थाना कोतवाली स्थान - ट्रांसपोर्ट नगर चौक, आरोपी - संतोष दास महंत पिता जौहरी दास महंत उम्र 35 वर्ष सा. मिठ्ठुमुड़ा, जप्ती - 5,500 रू नगद, एक नग सट्टा पट्टी, थाना कोतवाली स्थान - रामभांठा, आरोपी - दिलेश्वर भारती पिता भुनेश्वर भारती उम्र 20 वर्ष सा. जय स्तम्भ चौक रामभांठा, जप्ती -6050 रू नगद, थाना कोतवाली स्थान - रामभांठा, आरोपी - सुरेश जांगड़े पिता भुलाऊ जांगड़े उम्र 25 वर्ष सा. रामभांठा, जप्ती -15,500 रू नगद, एक नग सट्टा पट्टी, थाना कोतवाली स्थान - मधुबन पारा रायगढ, आरोपी - सानू पिता कुतुबउद्दीन मुसलमान उम्र 25 वर्ष सा. मधुबन पारा , जप्ती - 10,200 रू नगद, एक नग सट्टा पट्टी तथा थाना कोतवाली स्थान - बुढ़ी माई मंदिर रोड रायगढ़, आरोपी - छबि धीवर पिता स्व. भागीरथी धीवर उम्र 25 वर्ष सा. रेल्वे बंगला पारा रायगढ़, जप्ती - 12,000 रू नगद, एक नग सट्टा पट्टी जब्त किया गया है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन "हेडलबर्ग" से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की
खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर
एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO.-CHHHIN16931